

महिला आर्थिक सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

¹ Jyoti, ²Dr. Shweta Mehta (Assistant Professor)

¹Research Scholar, ²Supervisor

¹⁻² Department of Sociology, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.)

सारांश

महिला आर्थिक सशक्तिकरण सामाजिक समानता, आत्मनिर्भरता तथा समावेशी विकास का महत्वपूर्ण आधार है। आर्थिक रूप से सक्षम महिला परिवार की आय, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बचत, निवेश तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रभावी भूमिका निभाती है। प्रस्तुत शोध-पत्र में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु संचालित प्रमुख सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जन-धन योजना, मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास योजना, रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी पहलों ने महिलाओं को बैंकिंग सुविधा, ऋण, प्रशिक्षण, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन योजनाओं के फलस्वरूप अनेक महिलाओं की आय, आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ी है। इसके बावजूद अशिक्षा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, योजनाओं की जानकारी का अभाव, जटिल आवेदन प्रक्रिया, बैंक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई, तकनीकी ज्ञान की कमी, पारिवारिक असहयोग तथा बाजार तक सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ योजनाओं की प्रभावशीलता को कम करती हैं। अतः महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आर्थिक सहायता के साथ शिक्षा, कौशल विकास, वित्तीय जागरूकता, सरल प्रशासनिक प्रक्रिया, बाजार सुविधा और निरंतर संस्थागत मार्गदर्शन आवश्यक है।

प्रमुख शब्द

महिला आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सरकारी योजनाएँ, वित्तीय समावेशन, महिला उद्यमिता, स्वयं सहायता समूह, कौशल विकास, स्वरोजगार, सामाजिक समानता, पितृसत्तात्मक व्यवस्था।

1. प्रस्तावना

महिला आर्थिक सशक्तिकरण किसी भी समाज के सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समावेशी विकास का महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला अपने जीवन से संबंधित निर्णय

लेने, परिवार की आय में योगदान देने तथा सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने में अधिक सक्षम होती है। भारतीय समाज में महिलाओं ने कृषि, घरेलू कार्य, लघु उद्योग और असंगठित क्षेत्र में निरंतर योगदान दिया है, फिर भी उनके श्रम को प्रायः उचित आर्थिक मान्यता नहीं मिलती और संपत्ति, ऋण, शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुँच सीमित रहती है (मेहता, 2020)। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, लैंगिक भेदभाव, घरेलू उत्तरदायित्व और संसाधनों पर पुरुषों का नियंत्रण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं (खन्ना, 2021)। भूमि और संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार उनकी आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा और निर्णय क्षमता को मजबूत करने में विशेष भूमिका निभाता है (अग्रवाल, 2014)। इस संदर्भ में स्वयं सहायता समूह, वित्तीय समावेशन, कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता से जुड़ी सरकारी योजनाएँ महिलाओं को बचत, ऋण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रभावी माध्यम बनी हैं (कुमार एवं शर्मा, 2015; चौधरी, 2019)। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी पहलों ने महिलाओं को लघु व्यवसाय स्थापित करने और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है (पटेल, 2018), जबकि डिजिटल सेवाओं और बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक संसाधनों तक पहुँच के नए अवसर उत्पन्न किए हैं (शर्मा, 2020)। इसके बावजूद योजनाओं की जानकारी का अभाव, जटिल आवेदन प्रक्रिया, तकनीकी ज्ञान की कमी, बाजार तक सीमित पहुँच और पारिवारिक सहयोग का अभाव इनके प्रभाव को कम करता है (सिंह, 2016)। अतः सरकारी योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन केवल लाभार्थियों की संख्या या वितरित ऋण के आधार पर नहीं, बल्कि महिलाओं की आय, आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा, निर्णय क्षमता और जीवन की गुणवत्ता में आए परिवर्तन के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

2. महिला आर्थिक सशक्तिकरण की अवधारणा

महिला आर्थिक सशक्तिकरण से आशय उस सतत प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक संसाधनों, रोजगार के अवसरों, वित्तीय सेवाओं, संपत्ति तथा आय के साधनों तक समान पहुँच प्राप्त होती है और वे अपने आर्थिक एवं पारिवारिक जीवन से संबंधित निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने में सक्षम बनती हैं। आर्थिक सशक्तिकरण केवल महिला द्वारा धन अर्जित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अर्जित आय पर उसका नियंत्रण, बचत एवं निवेश की क्षमता, उत्पादन के साधनों तक पहुँच, ऋण प्राप्त करने की सुविधा तथा परिवार और समाज में निर्णय लेने की प्रभावी भूमिका भी सम्मिलित होती है। भूमि, संपत्ति और अन्य उत्पादक संसाधनों पर अधिकार महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करता है (अग्रवाल, 2014)। इस प्रकार आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को आश्रित स्थिति से बाहर निकालकर उन्हें आत्मनिर्भर, जागरूक और अधिकार-संपन्न नागरिक बनाने की प्रक्रिया है।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण के प्रमुख आयामों में स्वतंत्र एवं नियमित आय, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, बैंक खातों तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुँच, बचत एवं निवेश करने की क्षमता, संस्थागत ऋण की उपलब्धता, संपत्ति एवं संसाधनों पर अधिकार, व्यवसाय और उद्यमिता में भागीदारी तथा पारिवारिक आर्थिक निर्णयों में सहभागिता शामिल हैं। स्वतंत्र आय महिला को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ बच्चों की शिक्षा, परिवार के स्वास्थ्य, पोषण और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा में योगदान करने की क्षमता प्रदान करती है। बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय समावेशन से जुड़ाव महिलाओं को सुरक्षित बचत, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता, ऋण, बीमा और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों ने सामूहिक बचत, छोटे ऋण, स्वरोजगार और नेतृत्व विकास के अवसर उत्पन्न करके आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत किया है (कुमार एवं शर्मा, 2015)। इसी प्रकार महिला उद्यमिता के विकास से महिलाएँ केवल श्रमिक की भूमिका तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि उत्पादन, व्यवसाय संचालन और रोजगार सृजन में भी सक्रिय भागीदारी करती हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभाव महिला के व्यक्तिगत जीवन से आगे बढ़कर परिवार और समाज तक दिखाई देता है। जब महिला परिवार की आय में योगदान करती है, तो बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू व्यय, बचत और निवेश से संबंधित निर्णयों में उसकी भूमिका बढ़ती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता से महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक गतिशीलता का विकास होता है तथा परिवार और समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत होती है (खन्ना, 2021)। आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएँ सामाजिक अन्याय, शोषण और भेदभाव के विरुद्ध अपनी आवाज अधिक प्रभावी ढंग से उठा सकती हैं। स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संगठनों में सहभागिता महिलाओं के बीच सहयोग, जागरूकता और नेतृत्व को बढ़ाती है, जिससे उनकी सार्वजनिक एवं सामाजिक भागीदारी भी सुदृढ़ होती है (नायर, 2021)। अतः महिला आर्थिक सशक्तिकरण को केवल आय बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक पहचान, स्वतंत्रता, सम्मान और समान अवसर प्रदान करने वाली व्यापक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए।

3. भारत में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

भारत में महिलाएँ कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, घरेलू उत्पादन, सेवा क्षेत्र तथा पारिवारिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, फिर भी उनके श्रम को पर्याप्त आर्थिक और सामाजिक मान्यता नहीं मिलती। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ बुवाई, निराई, कटाई, पशुओं की देखभाल, जल एवं ईंधन संग्रह तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त भोजन निर्माण, बच्चों और वृद्धों की देखभाल, सफाई तथा घरेलू प्रबंधन जैसे अवैतनिक कार्यों का अधिकांश भार भी महिलाओं पर होता है।

इन कार्यों का आर्थिक मूल्य निर्धारित न होने के कारण महिलाओं का वास्तविक योगदान प्रायः अदृश्य बना रहता है (मेहता, 2020)।

महिलाओं की बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ उन्हें रोजगार की स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ और उचित पारिश्रमिक जैसी सुविधाएँ प्राप्त नहीं होतीं। समान कार्य करने के बावजूद अनेक क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। महिलाओं की आय को प्रायः सहायक आय माना जाता है, जबकि अनेक परिवारों में उनकी कमाई आजीविका का महत्वपूर्ण आधार होती है। पुरुष को मुख्य अर्जक और महिला को आश्रित सदस्य मानने वाली सामाजिक धारणा आर्थिक असमानता को और अधिक मजबूत करती है (खन्ना, 2021)।

शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी भी महिलाओं की आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। ग्रामीण, निर्धन, दलित और आदिवासी महिलाओं को शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में घरेलू जिम्मेदारियों, आर्थिक अभाव, सुरक्षित परिवहन की कमी और सामाजिक रुढ़ियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा महिलाओं को रोजगार योग्य बनाने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, कानूनी अधिकारों और आर्थिक अवसरों के प्रति जागरूक भी करती है (जोशी, 2020)। तकनीकी ज्ञान, मोबाइल और अंतरजाल सुविधाओं तक सीमित पहुँच के कारण अनेक महिलाएँ आधुनिक बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन व्यापार का पूरा लाभ नहीं उठा पातीं (शर्मा, 2020)।

बैंक खातों, बचत, ऋण और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच में सुधार हुआ है, लेकिन इन संसाधनों पर उनका वास्तविक नियंत्रण अभी भी सीमित है। दस्तावेजों की कमी, बैंक शाखाओं की दूरी, जटिल ऋण प्रक्रिया, जमानत का अभाव और वित्तीय जानकारी की कमी के कारण ग्रामीण महिलाओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय समावेशन तभी सार्थक माना जा सकता है, जब महिलाएँ बैंक खाते का स्वतंत्र उपयोग करने तथा बचत, ऋण और निवेश संबंधी निर्णय लेने में सक्षम हों (चौधरी, 2019)। स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को सामूहिक बचत, छोटे ऋण, स्वरोजगार और नेतृत्व के अवसर प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन किया है (कुमार एवं शर्मा, 2015)।

भूमि, आवास और पैतृक संपत्ति पर महिलाओं का सीमित अधिकार उनकी आर्थिक निर्भरता का एक प्रमुख कारण है। कानूनी अधिकार उपलब्ध होने के बावजूद सामाजिक परंपराओं और पारिवारिक दबाव के कारण अनेक महिलाएँ संपत्ति में अपने अधिकार का दावा नहीं कर पातीं। संपत्ति का स्वामित्व महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, ऋण प्राप्त करने की क्षमता और पारिवारिक निर्णयों में अधिक प्रभाव प्रदान करता है (अग्रवाल, 2014)। विवाह, मातृत्व, बच्चों की देखभाल और घरेलू उत्तरदायित्व भी महिलाओं के रोजगार की निरंतरता को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण महिलाओं को सीमित प्रशिक्षण,

परिवहन और बाजार सुविधाओं की समस्या होती है, जबकि शहरी महिलाओं को कार्यस्थल पर भेदभाव, असमान वेतन और परिवार तथा रोजगार के बीच संतुलन बनाने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अतः महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उनके श्रम को मान्यता देना, समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना, शिक्षा और कौशल के अवसर बढ़ाना तथा संपत्ति एवं आर्थिक संसाधनों पर उनके अधिकार को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

4. महिला आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएँ

महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता, मातृत्व सुरक्षा तथा बालिका शिक्षा से संबंधित अनेक योजनाएँ संचालित की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि उन्हें बैंकिंग व्यवस्था, संस्थागत ऋण, प्रशिक्षण, बाजार और उत्पादन के साधनों से जोड़ना भी है। सरकारी योजनाएँ महिलाओं की आय में वृद्धि के साथ उनकी पारिवारिक निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करती हैं।

4.1 प्रधानमंत्री जन-धन योजना

प्रधानमंत्री जन-धन योजना का प्रमुख उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित नागरिकों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना है। महिलाओं के नाम बैंक खाते खुलने से सरकारी सहायता सीधे उनके खातों में पहुँचती है तथा उन्हें बचत, बीमा, पेंशन और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलता है। बैंक खाते पर महिला का स्वतंत्र नियंत्रण उसकी आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता को मजबूत कर सकता है। वित्तीय समावेशन तभी सार्थक होता है, जब महिलाएँ बैंक खाते का नियमित एवं स्वतंत्र उपयोग करने में सक्षम हों (चौधरी, 2019)। यह योजना बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच विकसित करने पर केंद्रित है।

4.2 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत गैर-कॉर्पोरेट और लघु उद्यमों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के माध्यम से महिलाएँ सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, दुकानदारी, हस्तशिल्प, पशुपालन, सौंदर्य सेवाओं तथा अन्य छोटे व्यवसायों की स्थापना या विस्तार कर सकती हैं। इससे महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित रहने के स्थान पर उद्यमी और आय अर्जक के रूप में अपनी पहचान विकसित करने का अवसर मिलता है। मुद्रा योजना ने महिला स्वरोजगार और छोटे उद्यमों को

आर्थिक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है (पटेल, 2018)। वर्तमान व्यवस्था में पात्र सूक्ष्म उद्यमों के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत जमानत-मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध है।

4.3 दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण निर्धन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके उनकी आजीविका और आर्थिक क्षमता को मजबूत करता है। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को सामूहिक बचत, बैंक ऋण, कौशल प्रशिक्षण, लघु उद्यम तथा बाजार से जुड़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं में आर्थिक अनुशासन के साथ नेतृत्व, सामूहिकता, आत्मविश्वास और अधिकारों के प्रति जागरूकता का भी विकास करते हैं (कुमार एवं शर्मा, 2015)। इस मिशन के अंतर्गत महिला समूहों को वित्त, प्रौद्योगिकी, उद्यम स्थापना और बाजार विस्तार से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

4.4 स्टैंड-अप इंडिया योजना

स्टैंड-अप इंडिया योजना महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध क्षेत्रों में नवीन उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है। यह योजना महिलाओं की संस्थागत ऋण तक पहुँच बढ़ाकर उन्हें बड़े स्तर पर व्यवसाय आरंभ करने का अवसर प्रदान करती है। महिला उद्यमियों के लिए पूँजी, मार्गदर्शन और बाजार तक पहुँच उपलब्ध होना उनकी उद्यमशीलता के स्थायी विकास के लिए आवश्यक है (मिश्रा, 2017)। योजना के अंतर्गत पात्र महिला उद्यमियों को दस लाख से एक करोड़ रुपये तक के ऋण की व्यवस्था की गई है।

4.5 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को उद्योग और रोजगार की आवश्यकताओं के अनुरूप अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण तथा पूर्व कौशल की मान्यता प्रदान की जाती है। महिलाएँ स्वास्थ्य सेवा, परिधान निर्माण, संगणक संचालन, सौंदर्य एवं कल्याण, पर्यटन, खुदरा व्यापार और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। कौशल प्रशिक्षण महिलाओं की रोजगार क्षमता, कार्यकुशलता और आय अर्जित करने की संभावनाओं को बढ़ाता है। महिला शिक्षा और कौशल विकास का रोजगार तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता से प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है (जोशी, 2020)। योजना का उद्देश्य रोजगार-संबंधी कौशल और प्रमाणन के माध्यम से बेहतर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है।

4.6 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्वरोजगार पर आधारित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण-संबद्ध आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाएँ उत्पादन और सेवा क्षेत्र में छोटी व्यावसायिक इकाइयाँ स्थापित कर सकती हैं। महिलाओं के लिए निर्धारित विशेष श्रेणी संबंधी सुविधाएँ प्रारंभिक पूँजी की कमी को दूर करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में सहायक होती हैं। आर्थिक सहायता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण और निरंतर मार्गदर्शन महिला उद्यमों की सफलता के लिए आवश्यक माना जाता है (मिश्रा, 2017)।

4.7 महिला ई-हाट

महिला ई-हाट महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार से जोड़ने वाला एक डिजिटल विपणन माध्यम है। इसके माध्यम से महिलाएँ हस्तशिल्प, वस्त्र, खाद्य सामग्री, सजावटी उत्पाद और अन्य घरेलू वस्तुओं का प्रदर्शन कर सकती हैं। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होने और महिला उत्पादों को व्यापक उपभोक्ता वर्ग तक पहुँचाने की संभावना उत्पन्न होती है। डिजिटल माध्यम महिलाओं के लिए व्यापार और बाजार के नए अवसर विकसित कर सकते हैं, किंतु इसके लिए डिजिटल साक्षरता और तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता आवश्यक है (शर्मा, 2020)। महिला ई-हाट की स्थापना महिला उद्यमियों के उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की गई थी।

4.8 लखपति दीदी पहल

लखपति दीदी पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्थायी आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनकी वार्षिक पारिवारिक आय में वृद्धि करना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता प्रशिक्षण, ऋण और बाजार संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। यह पहल महिलाओं को सामान्य समूह सदस्य से आय अर्जित करने वाली उद्यमी और सामुदायिक आदर्श के रूप में विकसित करने का प्रयास करती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता का विस्तार होता है (नायर, 2021)। इस पहल में एक लाख रुपये या उससे अधिक वार्षिक पारिवारिक आय अर्जित करने वाली स्वयं सहायता समूह सदस्य को लखपति दीदी के रूप में परिभाषित किया गया है।

4.9 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व अवधि के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य माता और शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करने के साथ गर्भावस्था के कारण होने वाली मजदूरी की संभावित हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति करना है। यह योजना प्रत्यक्ष रूप से रोजगार या उद्यमिता से संबंधित नहीं है, फिर भी मातृत्व के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके महिलाओं की असुरक्षा को कम करती है। मातृत्व सुरक्षा महिलाओं की कार्यक्षमता, स्वास्थ्य और दीर्घकालीन आर्थिक सहभागिता के लिए महत्वपूर्ण है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय सहायता और मजदूरी हानि की क्षतिपूर्ति पर केंद्रित है।

4.10 बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और शिक्षा में सहभागिता को बढ़ाना है। यह प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना नहीं, बल्कि सामाजिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन पर केंद्रित पहल है। बालिका शिक्षा भविष्य में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की आधारशिला तैयार करती है। महिला शिक्षा आर्थिक अवसरों के विस्तार और सामाजिक स्थिति में सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम है (जोशी, 2020)। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं के मूल्य के प्रति जागरूकता, विद्यालयी नामांकन में वृद्धि और पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी लाना है।

इन योजनाओं का समग्र विश्लेषण दर्शाता है कि महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बैंक खाता, ऋण या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है। योजनाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल ज्ञान, बाजार संपर्क, पारिवारिक समर्थन और संस्थागत मार्गदर्शन भी आवश्यक है। जब महिलाएँ आर्थिक संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण प्राप्त करती हैं, तभी सरकारी योजनाएँ उनके जीवन में स्थायी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न कर सकती हैं।

5. सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता

महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित सरकारी योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक संसाधनों, बैंकिंग सेवाओं, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार तथा उद्यमिता के अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं की प्रभावशीलता केवल आर्थिक सहायता के वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, पारिवारिक निर्णय क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास पर भी दिखाई देता है। सरकारी योजनाओं से प्राप्त अवसरों ने महिलाओं की पारंपरिक

आश्रित भूमिका में परिवर्तन लाकर उन्हें आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया है।

5.1 बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच

जन-धन योजना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी पहलों के कारण महिलाओं के नाम बैंक खाते खुलने तथा सरकारी आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में पहुँचने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। इससे महिलाओं को बचत करने, आर्थिक सहायता प्राप्त करने और औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिला है। बैंक खाते का स्वतंत्र उपयोग महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के साथ परिवार के पुरुष सदस्यों पर उनकी वित्तीय निर्भरता को कम कर सकता है। वित्तीय समावेशन तभी प्रभावी माना जाता है, जब महिलाएँ बैंक खाते, बचत, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं का स्वयं उपयोग करने में सक्षम हों (चौधरी, 2019)।

5.2 स्वयं सहायता समूहों का विकास

स्वयं सहायता समूहों ने विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक बचत, छोटे ऋण, कौशल प्रशिक्षण और आय सृजन गतिविधियों से जोड़ने का कार्य किया है। समूह में नियमित भागीदारी से महिलाओं में वित्तीय अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व क्षमता और अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित होती है। सामूहिक प्रयासों के माध्यम से महिलाएँ छोटे व्यवसाय प्रारंभ करने, आर्थिक समस्याओं का समाधान खोजने और स्थानीय संस्थाओं के साथ संवाद करने में अधिक सक्षम बनती हैं। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास के साथ महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न करने का प्रभावी माध्यम सिद्ध हुए हैं (कुमार एवं शर्मा, 2015)। समूह गतिविधियों में भागीदारी से महिलाओं के नेतृत्व और सार्वजनिक जीवन में सहभागिता का भी विस्तार हुआ है (नायर, 2021)।

5.3 स्वरोजगार और आय के अवसर

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों ने महिलाओं को लघु व्यवसाय तथा स्वरोजगार गतिविधियाँ प्रारंभ करने के अवसर प्रदान किए हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएँ सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, हस्तशिल्प, दुकानदारी और घरेलू उत्पादन जैसे क्षेत्रों में आय अर्जित कर रही हैं। नियमित आय से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तथा महिला का योगदान अधिक स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाने लगता है। मुद्रा योजना ने महिलाओं को छोटे उद्यमों के लिए ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया है (पटेल, 2018)। महिला उद्यमिता के विकास के लिए आर्थिक सहायता के साथ प्रशिक्षण, बाजार सुविधा और व्यावसायिक मार्गदर्शन भी आवश्यक है (मिश्रा, 2017)।

5.4 वित्तीय साक्षरता में वृद्धि

बैंक खातों, स्वयं सहायता समूहों, डिजिटल भुगतान और सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार से महिलाओं में वित्तीय व्यवहार की समझ बढ़ी है। महिलाएँ बचत, ऋण, घरेलू व्यय और आय के उपयोग से संबंधित निर्णयों में पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं। वित्तीय जानकारी महिलाओं को अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता कम करने और संस्थागत ऋण सुविधाओं का उपयोग करने में सहायता करती है। डिजिटल साधनों के माध्यम से बैंकिंग एवं बाजार सुविधाओं तक पहुँच के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं, किंतु इनके प्रभावी उपयोग के लिए तकनीकी ज्ञान आवश्यक है (शर्मा, 2020)। वित्तीय साक्षरता महिला को केवल आर्थिक लेन-देन करने योग्य नहीं बनाती, बल्कि संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन की क्षमता भी प्रदान करती है।

5.5 पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता

महिलाओं की आय और आर्थिक संसाधनों तक पहुँच बढ़ने से परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी सहभागिता भी बढ़ती है। आय अर्जित करने वाली महिलाएँ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू खर्च, बचत और निवेश से संबंधित निर्णयों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाती हैं। आर्थिक योगदान महिला की पारिवारिक स्थिति को मजबूत करता है तथा उसकी राय को अधिक महत्व मिलने लगता है। आर्थिक रूप से सक्रिय महिला की निर्णय क्षमता और आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है, जिससे परिवार में उसकी आश्रित स्थिति में परिवर्तन आता है (खन्ना, 2021)।

5.6 सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास

सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं में आत्मविश्वास, सामाजिक गतिशीलता और सार्वजनिक भागीदारी का विकास होता है। बैंक, प्रशिक्षण केंद्र, बाजार और समूह बैठकों में भाग लेने से महिलाओं का सामाजिक संपर्क बढ़ता है तथा वे घर की सीमाओं से बाहर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में शामिल होती हैं। परिवार की आय में योगदान करने वाली महिलाओं को समुदाय में अधिक सम्मान और पहचान प्राप्त होती है। महिलाओं की आर्थिक भूमिका को स्वीकार किए जाने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि होती है (मेहता, 2020)।

5.7 महिला उद्यमिता का विस्तार

सरकारी ऋण, प्रशिक्षण और बाजार-संबंधी योजनाओं ने महिलाओं को घरेलू उत्पादन से आगे बढ़कर सेवा, व्यापार, विनिर्माण और डिजिटल विपणन जैसे क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। महिला उद्यमिता से महिलाओं की व्यक्तिगत आय बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के

अवसर भी उत्पन्न होते हैं। डिजिटल माध्यमों ने महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद व्यापक बाजार तक पहुँचाने की सुविधा प्रदान की है, यद्यपि तकनीकी जानकारी और बाजार संपर्क की कमी अभी भी एक प्रमुख बाधा बनी हुई है (शर्मा, 2020)। सरकारी प्रोत्साहन नीतियाँ महिला उद्यमिता के विकास में सहायक हैं, किंतु उनकी दीर्घकालीन सफलता के लिए ऋण के साथ प्रशिक्षण, परामर्श और बाजार सहयोग आवश्यक है (मिश्रा, 2017)।

समग्र रूप से सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग पहुँच, बचत, ऋण उपलब्धता, स्वरोजगार, उद्यमिता और पारिवारिक निर्णय क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न किया है। फिर भी इन योजनाओं की वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि महिलाओं को प्राप्त आर्थिक संसाधनों पर कितना स्वतंत्र नियंत्रण है। योजनाओं को सामाजिक जागरूकता, कौशल विकास, वित्तीय शिक्षा और बाजार सुविधाओं से जोड़कर ही महिला आर्थिक सशक्तिकरण को व्यापक एवं स्थायी बनाया जा सकता है।

6. महिला आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं की प्रमुख चुनौतियाँ एवं बाधाएँ

- अनेक महिलाओं को सरकारी योजनाओं के उद्देश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध लाभों की पर्याप्त जानकारी नहीं होती, जिसके कारण वे योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पातीं (सिंह, 2016)।
- आवेदन प्रक्रिया की जटिलता, आवश्यक दस्तावेजों की कमी और प्रशासनिक औपचारिकताएँ विशेष रूप से ग्रामीण एवं अशिक्षित महिलाओं के लिए बाधा उत्पन्न करती हैं।
- बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए जमानत, संपत्ति, नियमित आय और वित्तीय अभिलेखों की आवश्यकता निर्धन महिलाओं की ऋण तक पहुँच सीमित करती है (चौधरी, 2019)।
- बैंक शाखाओं की दूरी, अधिकारियों से संपर्क में कठिनाई और वित्तीय संस्थानों की जटिल प्रक्रिया ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करती है।
- डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण अनेक महिलाएँ ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल भुगतान, बैंकिंग सेवाओं और ऑनलाइन बाजार का पूरा लाभ नहीं उठा पातीं (शर्मा, 2020)।
- मोबाइल, इंटरनेट और अन्य तकनीकी सुविधाओं की सीमित उपलब्धता डिजिटल योजनाओं की पहुँच को कमजोर करती है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता, अवधि और स्थानीय रोजगार की आवश्यकताओं के बीच उचित समन्वय का अभाव पाया जाता है।

- ऋण और प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद व्यवसाय संचालन, लेखा प्रबंधन, मूल्य निर्धारण तथा विपणन से संबंधित निरंतर मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होता (मिश्रा, 2017)।
- पारिवारिक असहयोग, घरेलू उत्तरदायित्व और पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में नियमित भागीदारी को सीमित करती है (खन्ना, 2021)।
- कई बार व्यवसाय महिला के नाम पर पंजीकृत होता है, किंतु उसका वास्तविक संचालन परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को स्वतंत्र आर्थिक गतिविधि के स्थान पर घरेलू कार्य का विस्तार समझा जाता है।

7. योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव

- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का सरल और स्थानीय भाषा में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।
- पंचायत और वार्ड स्तर पर महिला सहायता केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, जहाँ पात्रता, दस्तावेज, आवेदन और ऋण संबंधी जानकारी उपलब्ध हो।
- आवेदन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और कम दस्तावेजों पर आधारित बनाया जाना चाहिए।
- महिलाओं को केवल ऋण देने के स्थान पर व्यवसाय संचालन, लेखा प्रबंधन, वित्तीय योजना और विपणन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थानीय संसाधनों, बाजार की माँग और महिलाओं की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए।
- ऋण प्राप्त करने के बाद महिला उद्यमियों को नियमित व्यावसायिक परामर्श और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए (मिश्रा, 2017)।
- स्वयं सहायता समूहों को बैंकों, सहकारी संस्थाओं, सरकारी विभागों और बाजारों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाना चाहिए (कुमार एवं शर्मा, 2015)।
- महिला उत्पादों की बिक्री के लिए स्थानीय मेले, प्रदर्शनी केंद्र, सहकारी बाजार और ऑनलाइन मंच विकसित किए जाने चाहिए।

- महिलाओं को मोबाइल उपयोग, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन विपणन का नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए (शर्मा, 2020)।
- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को बचत, ऋण, निवेश और बीमा संबंधी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

8. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि महिला आर्थिक सशक्तिकरण केवल आय अर्जन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक संसाधनों, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, सामाजिक सम्मान और समान अवसर प्रदान करने वाली व्यापक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास योजना, रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्टैंड-अप इंडिया तथा स्वयं सहायता समूहों से संबंधित पहलों ने महिलाओं को बैंकिंग, ऋण, प्रशिक्षण, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं के कारण अनेक महिलाओं की आय, वित्तीय जागरूकता, आत्मविश्वास, पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा में सकारात्मक परिवर्तन आया है। विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं में सामूहिक बचत, नेतृत्व और आर्थिक सहयोग की भावना को मजबूत किया है। इसके बावजूद योजनाओं की जानकारी का अभाव, जटिल आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों की कमी, ऋण प्राप्त करने में कठिनाई, डिजिटल अशिक्षा, सीमित बाजार, पारिवारिक असहयोग और पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना जैसी बाधाएँ योजनाओं की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। इसलिए महिला आर्थिक सशक्तिकरण को स्थायी बनाने के लिए केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता, सरल प्रशासनिक व्यवस्था, बाजार संपर्क, पारिवारिक सहयोग और निरंतर संस्थागत मार्गदर्शन भी आवश्यक है। सरकारी योजनाओं का स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित मूल्यांकन महिलाओं को वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता तथा गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने में सहायक हो सकता है।

संदर्भ

अग्रवाल, बी. (2014). *जेंडर और भूमि अधिकार: भारत में महिला सशक्तिकरण का एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण*. न्यू दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

कुमार, आर., और शर्मा, एस. (2015). महिला स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण विकास: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. *इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी*, 6(2), 45-58।

- सिंह, पी. (2016). *भारत में महिला सशक्तिकरण: सरकारी योजनाएं और चुनौतियां*. जयपुर: रावत पब्लिकेशंस।
- वर्मा, ए. (2016). मनरेगा और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता. *समाज और विज्ञान जर्नल*, 12(1), 89-102।
- मिश्रा, डी. के. (2017). महिला उद्यमिता और सरकारी प्रोत्साहन नीतियां. *भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण*, 23(3), 112-125।
- झा, के. एन. (2017). *समकालीन भारतीय समाज में महिलाएँ: अधिकार और सशक्तिकरण*. नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वॉन।
- गुप्ता, आर. (2018). बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: एक सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य. *जर्नल ऑफ सोशल इश्यूज*, 15(4), 201-215।
- दास, एस. (2018). स्वयं सहायता समूह और सामाजिक समावेशन: एक समाजशास्त्रीय पड़ताल. *समाजशास्त्र समीक्षा*, 9(2), 34-47।
- पटेल, एम. (2018). मुद्रा योजना और महिला स्वरोजगार: प्रभावशीलता का विश्लेषण. *उद्यमिता और विकास पत्रिका*, 7(1), 55-68।
- चौधरी, एन. (2019). ग्रामीण महिलाएँ और वित्तीय समावेशन: समाजशास्त्रीय विश्लेषण. *विकास और समाज*, 14(3), 12-25।
- यादव, एस. (2019). *भारत में महिला सशक्तिकरण की बदलती प्रवृत्तियाँ*. दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
- राय, ए. (2019). महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और कानून: वन स्टॉप सेंटर योजना का मूल्यांकन. *कानून और समाज जर्नल*, 21(2), 140-155।
- रेड्डी, के. (2020). कोविड-19 के दौर में महिला श्रमशक्ति और आर्थिक सुरक्षा. *भारतीय समाजशास्त्रीय बुलेटिन*, 28(1), 67-82।
- मेहता, बी. सी. (2020). *भारतीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति: एक विश्लेषण*. अहमदाबाद: एकेडमिक बुक्स।

- शर्मा, वी. (2020). डिजिटल इंडिया और ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण. *टेक्नोलॉजी और समाज*, 5(3), 90-105।
- जोशी, एल. (2020). महिला शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि: सरकारी योजनाओं का योगदान. *शिक्षा और समाज*, 11(4), 45-59।
- तिवारी, आर. (2021). मनरेगा और महिलाओं का जेंडर सशक्तिकरण. *ग्रामीण अध्ययन जर्नल*, 18(2), 110-124।
- खन्ना, पी. (2021). *महिलाएँ, कार्य और समाज*. मुंबई: हिमालय पब्लिशिंग हाउस।
- नायर, एस. (2021). स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला नेतृत्व का उदय. *सशक्तिकरण अध्ययन*, 9(1), 22-38।
- शुक्ला, डी. (2021). सरकारी कल्याणकारी योजनाएं और महिला सुरक्षा: एक समाजशास्त्रीय दृष्टि. *समाज और नीति*, 25(3), 75-89।